भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2278
दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

पशुपालन

2278. श्री जामयांग शेरिंग नामग्या3ल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लद्दाख में मत्य् ंगपालन्पशु एवं भेड़ पालन क्षेत्रों में सरकार के वर्तमान और प्रस्ता्वित कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौगरा क्याय् है

(ख) क्या्ो सरकार ने लद्दाख में पशु पालन में आने वाली प्रमुख समस्याकओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्सं्ाबंधी ब्यौ रा क्या्ाुाैहै

(ग) वर्ष 2014 से लद्दाख में बकरी , भेड़, याक और गाय की संख्याऔ में वृद्धि और कमी के आंकड़ों का वर्ष-वार ब्यौदरा क्यां है

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जहांतकपशुपालनऔरमत्स्यपालनक्षेत्रकासंबंधहै, केंद्रसरकारद्वारासंघ राज्य् क्षेत्रलद्दाखकेलिएकोईविशेषयोजनाक्रियान्वितनहींकीगईहै।हालांकि, पशुपालनऔरडेयरीविभाग, मत्स्यपालन, पशुपालनऔरडेयरीमंत्रालय, भारतसरकारद्वाराकार्यान्वितनिम्नलिखितयोजनाएंलद्दाखमेंसमानरूपसेलागूहैं।

(i) देशीबोवाइननस्लोंकेविकासऔरसंरक्षणकेलिए**राष्ट्रीयगोकुलमिशन (आरजीएम)**।दूधकीबढ़तीमांगकोपूराकरनेऔरदेशकेग्रामीणकिसानोंकेलिएडेयरीकोअधिकलाभकारीबनानेहेतुदुग्धउत्पादनऔरबोवाइनउत्पादकताबढ़ानेके लिएयहयोजनामहत्वपूर्णहै।

(ii) **राष्ट्रीयपशुधनमिशन (एनएलएम)**: इसयोजनाकाउद्देश्यरोजगारसृजन, उद्यमिताविकास, प्रतिपशुउत्पादकतामेंवृद्धिऔरइसप्रकारमांस, बकरीकेदूध, अंडेऔरऊनकेउत्पादनमेंवृद्धितथा आहारऔरचाराउत्पादनकोलक्षितकरनाहै।

(iii) **पशुधनस्वास्थ्यऔररोगनियंत्रणकार्यक्रम (एलएचडीसीपी):**पशु रोग के लिएरोगनिरोधीटीकाकरण, पशुचिकित्सासेवाओंकीक्षमतानिर्माण, रोगनिगरानीऔरपशुचिकित्साअवसंरचनाकोसुदृढ़करकेपशुस्वास्थ्यकेलिएजोखिमकोकमकरनेके उद्देश्यसेक्रियान्वित पशुधनस्वास्थ्यऔररोगनियंत्रणयोजना। "पशुधनस्वास्थ्यऔररोगनियंत्रण" (एलएच और डीसी) मेंतीनउपघटक (i) दोप्रमुखरोगोंनामत: पेस्टडेसपेटिटिसरूमिनेंट्स (पीपीआर) औरक्लासिकलस्वाइनज्वेर (सीएसएफ) केउन्मूलनऔरनियंत्रणकेलिएगंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी);(ii) मोबाइलपशुचिकित्साइकाइयों(ईएसवीएचडी) कीस्थापनाऔरसुदृढ़ीकरण ; और(iii) अन्यआर्थिकरूपसेमहत्वपूर्ण, विदेशी, आकस्मिकऔरजूनोटिकपशुरोगों(एएससीएडी) केनियंत्रणकेलिएराज्योंकोसहायता, शामिल हैं ।एलएच और डीसी कार्यक्रमसभीराज्योंऔरसंघ राज्यल क्षेत्रों (यूटी) मेंक्रियान्वितकियागयाहै।निधियन पद्धतिसीएडीसीपीऔरईएसवीएचडीकेगैर-आवर्तीघटकोंकेलिए100% केंद्रीयसहायता, औरईएसवीएचडी - एमवीयूकेसाथ- साथएएससीएडीकेलिएआवर्तीव्ययहेतुकेंद्रऔरराज्यकेबीच 60:40, औरपवर्तीयऔर उत्तकर पूर्वी राज्योंस केलिए90:10 तथासंघराज्य् क्षेत्रों केलिए 100% है।:

(iv) **राष्ट्रीयपशुरोगनियंत्रणकार्यक्रम (एनएडीसीपी):** खुरपकाऔरमुंहपकारोगतथाब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) केनियंत्रणहेतुराष्ट्रीयपशुरोगनियंत्रणकार्यक्रमएककेंद्रीयक्षेत्रकीयोजनाहै, जोटीकाकरणऔरअन्यलॉजिस्टिक्स्केलिए 100% वित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै।

(v) **कृषिऔरसंबद्धकार्यकलापोंकेतहतकिसानक्रेडिटकार्ड (केसीसी) योजना**।

(vi) **पशुधनसंगणनाऔरएकीकृतनमूनासर्वेक्षण:** दोअलग-अलगघटकों (i) पशुधनसंगणनाऔर (ii) एकीकृतनमूनासर्वेक्षण (आईएसएस) केसाथपशुधनसंगणनाऔर एकीकृतनमूनासर्वेक्षण।पशुधनसंगणनाकामुख्यउद्देश्यग्रामीणऔरशहरीक्षेत्रोंमेंपारिवारिक स्ततर तककीपशुधनकीप्रजाति-वारऔरनस्ल-वार आबादी ,केसाथ-साथउम्र, लिंगसंरचनाआदिकेबारेमेंजानकारीउपलब्धूकरानाहै।दूसरीओर, एकीकृतनमूनासर्वेक्षणयोजनाकामुख्यउद्देश्यराष्ट्रीय, राज्यऔरजिलास्तरपरप्रमुखपशुधनउत्पादों, यानीदूध , अंडा, मांसऔरऊनकावार्षिकअनुमानउपलब्धोकरनाहै।यहयोजनालाभार्थीउन्मुखनहींहै; बल्किइसकेडेटाकाउपयोगपशुधनक्षेत्रकेतहतकईविकासकार्यक्रमोंकोतैयारकरनेकेलिएकियागयाहै।

(vii) **प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई):** मत्स्यपालनक्षेत्रकेविकासकेलिएसभीराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंमेंवित्तवर्ष 2020-21 सेवित्तवर्ष 2024-25 तक 5 वर्षोंकीअवधिकेलिए 20,050 करोड़रुपयेकेकुलनिवेश से क्रियान्वित।

(viii) **राष्ट्रीयडेयरीविकासकार्यक्रम (एनपीडीडी):**एनपीडीडीयोजनाकाउद्देश्यदूधऔरदुग्धउत्पादोंकीगुणवत्तामेंवृद्धिकरनाऔरसंगठितदूधखरीदकीहिस्सेदारीमेंवृद्धिकरनाहै।यहयोजनाराज्यसहकारीडेयरीपरिसंघों/जिलासहकारीदुग्धउत्पादकसंघ/एसएचजीसंचालितनिजीडेयरी/दुग्धउत्पादककंपनियों/किसानउत्पादकसंगठनोंकेलिएगुणवत्तापूर्णदूधपरीक्षणउपकरणोंकेसाथ-साथप्राथमिकप्रशीतनसुविधाओंकेलिएअवसंरचनाकेनिर्माण/सुदृढ़ीकरणपरकेंद्रितहै।यहयोजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तकपांचवर्षकीअवधिकेलिएपूरेदेशमेंक्रियान्वित कीजाएगी।

(ix) **डेयरीअवसंरचना विकास निधि :** इसयोजनामेंपूरेदेशमेंराज्यडेयरीपरिसंघों, जिलादुग्धसंघों, दुग्धउत्पादककंपनियों, बहुराज्यसहकारीसमितियोंऔरएनडीडीबीकी अनुषंगीकंपनियोंकोऋणसहायताप्रदानकरनेकीपरिकल्पनाकीगईहै, जिन्हें किपात्रअंतिमउधारकर्ता (ईईबी) कहाजाताहै।योजनाकीनिधियनअवधि (2017-18 से 2019-20) कोवर्ष 2018-19 से 2022-23 तकसंशोधितकियाजानाहैऔरवित्तवर्ष 2031-32 कीपहलीतिमाहीतक केस्पिलओवरकेसाथ अदायगी अवधिकोवर्ष 2030-31 तकबढ़ायाजानाहै।

(x) **पशुपालनअवसंरचनाविकासनिधि:**केंद्रसरकारद्वाराआत्मनिर्भरभारतअभियानप्रोत्साहनपैकेजके तहत 15000 करोड़ रुपयेकी पशुपालन अवसंरचनाविकासनिधि (एएचआईडीएफ) क्रियान्वित कीजारहीहै।पशुपालनअवसंरचनाविकास निधि (एएचआईडीएफ) कोव्यक्तिगतउद्यमियों, निजीकंपनियों, एमएसएमई, किसानउत्पादकसंगठनों (एफपीओ) औरधारा 8 कंपनियोंद्वारानिवेशकोप्रोत्साहितकरनेकेलिएअनुमोदितकियागयाहैताकि (i) डेयरीप्रसंस्करणऔरमूल्यवर्धनअवसंरचना, (ii) मांसप्रसंस्करणऔरमूल्यवर्धनअवसंरचनाऔर (iii) पशुआहारसंयंत्र, (iv) नस्लसुधारप्रौद्योगिकीऔरनस्लवृद्धिफार्म, (v) पशुचिकित्साटीकेऔरऔषधिउत्पादनसुविधाएं, (vi) पशुअपशिष्टसेसंपत्तिप्रबंधन(कृषि - अपशिष्टप्रबंधन)कीस्थापनाकीजासके।

इसयोजनामेंकिसीभीअनुमोदितश्रेणीमेंपरियोजनाओंकीस्थापनाकेलिएपात्रसंस्थाओंद्वारालिएगए सावधिऋणोंपर 3% ब्याजअग्रिम (अपफ्रंट)सहायताकीपरिकल्पनाकीगईहै।अनुसूचितबैंकयोजनाकेतहतकिसीभीपात्रश्रेणीमेंपरियोजनाओंकीस्थापनाकेलिएपात्रसंस्थाओंको 90%

तकऋणप्रदानकरेंगे।इनबैंकोंद्वाराअपनेस्वयंकेसंसाधनोंसेवित्तपोषणकियाजाताहै।पात्रसंस्थाएंयोजनाकेदिशा-
निर्देशोंमेंनिर्धारितमार्जिनमनीकीव्यवस्थाकरेंगी।विस्तृतदिशानिर्देशजारीकिएगएहैंऔरबैंकोंकेबीच परिचालितकिएगएहैं

(ख) पशुपालन/भेड़पालननिदेशालयऔरमत्स्यपालनविभाग, लद्दाखद्वारालद्दाखमेंपशुधनपालनमेंरिपोर्टकीगईप्रमुखसमस्याएंइसप्रकारहैं:

1. क्षेत्रकीविशालताकेकारणयोजनाओंकेप्रभावीकार्यान्वयनमेंबाधाउत्पन्नकरनेवालीउच्चलॉजिस्टिकलागत,
2. पशुउत्पादोंकेमूल्यवर्धनऔरविपणनकीकमीकेकारणकिसानोंकीकमआय,
3. चरमजलवायुपरिस्थितियोंकेचलते चारेकीकमीकेकारणपशुधनकीहानि
4. वन्यहमलोंके कारणपशुओंकानुकसान।

(ग) जैसाकिपशुपालन/भेड़पालननिदेशालयऔरमत्स्यपालनविभाग, लद्दाखद्वारारिपोर्टकियागयाहै, वर्ष 2014 सेलद्दाखमेंबकरी, भेड़, याकऔरगायकीवृद्धिऔरकमीकेआंकड़ोंकाविवरण,इसप्रकारहै:

		आबादीसंख्यामें	
क्र.सं.	प्रजातियाँ	**19 वींपशुधनसंगणना (संख्या)**	**20 वींपशुधनसंगणना (सं.)**
1	गोपशु	87094	84201
2	भेड़	229992	198501
2	बकरी	308868	240106
4	याक	33754	20743